उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्याः 21/2017/वे0आ0-2-904/दस-35(एम)/2008
लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वांछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय-ज्ञाप सं0-वे0आ0-2-370/दस-2008 दिनांक 20 अगस्त, 2008 द्वारा 27 निःसंवर्गीय पद का सृजन किया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-2088/दस-35(एम) 2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 द्वारा गठित मुख्य सचिव समिति के सहयोग हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-2110/दस-35 (एम)/2008, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा उक्त सृजित 27 निःसवंर्गीय पदों में से 07 निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता दिनांक 29 फरवरी 2012 तक के लिए बढ़ाया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/2016/वे0आ0-2-115/दस-35(एम)2008, दिनांक 18 फरवरी, 2016 द्वारा 07 निःसंवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए बढ़ाया गया।

2- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/2016/वे0आ0-2-1261/दस-2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा 02 निःसंवर्गीय पद एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-58/2016/वे0आ0-2-1261/दस-2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा 07 निःसंवर्गीय पद, कुल 09 निःसंवर्गीय पदों का सृजन दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए किया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2017/वे0आ0-2-356/दस-35(एम)2008, दिनांक 14 जुलाई, 2017 द्वारा उपर्युक्त कुल 16 निःसंवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त, 2017 तक के लिए बढ़ाया गया। उक्त 16 निःसंवर्गीय पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुई है। अतः राज्यपाल महोदय निम्नांकित सभी 16 निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक के लिए यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	पदों की सं0
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	निजी सचिव	लेबल-10 (रू0 56100-177500)	01
2-	अपर निजी सचिव	लेबल- 8 (रू0 47600-151100)	01
3-	वरिष्ठ शोध अधिकारी	लेबल-11 (रू0 67700-208700)	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-	शोध अधिकारी	लेबल-10 (रू0 56100-177500)	02
5-	अपर साख्यिकीय अधिकारी	लेबल- 7 (रू0 44900-142400)	06
6-	लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष	लेबल- 7 (रू0 44900-142400)	01
7-	अवर वर्ग सहायक	लेबल- 6 (रू0 35400-112400)	04
		कुल पद -	16

3- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें देय होंगे।

4- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियां-0301-वेतन समिति का गठन के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-21/2017/वे0आ0-2-904(1)/दस-35(एम)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

3- इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन।

4- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5

आज्ञा से

अर्जुन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in